वाद संख्या-17 /2011

धारा-143 जमी0विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम ।
मौजा- पिण्डारन पर0/तह0 बबेरू (बांदा)

रिपोर्ट लेखपाल बनाम स्व0 गया प्रसाद महाविद्यालय भभुवा, प्रबन्धक राम किशोर सिंह

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारित प्रारूप अन्तर्गत धारा-143 उ0 प्र0 भूमि व्यव0 एवं जमींदारी विनाश अधिनियम (नियम-135) के अन्तगत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि खतौनी 1418 लगायत 1423 फ0 के खाता संख्या-282 के गाटा संख्या-2163मि0 रकबा 0.788 हे0 मा0 गु0 8.36 रू0 पर स्व0 गया प्रसाद महाविद्यालय भभुवा का मकान व बाउन्ड्री व खेलकूद के मैदान के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार स्तम्भ-6 व 7 में अंकित भूमि संख्या- व क्षेत्रफल कृषि बागवानी पशुपालन, मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन से असबद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने उ0 प्र0 जमी0 विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 135 पर इसकी आख्या दिनांक 16-7-2011 को प्रस्तुत की है। नियमानुसार वाद पंजीकृत करके मूल काश्तकार को सम्मन निर्गत कर तलब किया गया। रामकिशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासीग्राम -भभुवा ने अपनी भूमि गाटा सं0 2163 मि0 रकबा 0.788 हे0 में स्व0 गयाप्रसाद महाविद्यालय,भभुवा की बिल्डिंग बनी होने के कारण आबादी घोषित करने विषयक अनापत्ति प्रार्थना-पत्र देकर लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आबादी घोषित किये जाने की याचना की है।

पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की आख्या में कहा गया है कि गाटा संख्या-2163 मि0 रकबा 0.788 हे0 में स्व0 गया प्रसाद महाविद्यालय, भभुवा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जिस पर विद्यालय बाउन्ड्री भवन व मैदान बना है। जिस पर विद्यालय काबिज है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि बागवानी अथवा पशुपालन,मत्स्य संवर्धन एवं कुक्कुट पालन में नहीं आ रहे है। अपितु महाविद्यालय का आवासीय भवन निर्मित हो चुका है। जिसमें शिक्षण कार्य हो रहा है, और कृषि प्रयोजन में नहीं है। प्रश्नगत भूमि संक्रमणीय भूमि की श्रेणी की है। इस कारण इसके सम्बन्ध में उपर्युक्त दर्शाये गये क्षेत्रफल के विषय में उ0 प्र0 जमी0 विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में ग्राम पिण्डारन की भूमि गाटा संख्या-2163 मि0 रकबा 0.788 हे0 मा0 गु0 8.36 रू0 पर स्व0 गया प्रसाद महाविद्यालय, भभुवा प्रबन्धक,रामकिशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासी-भभुवा का विद्यालय भवन आदि निर्मित होने के कारण संलग्न लेखपाल/प्र0 राज0 निरीक्षक की आख्या व नजरी नक्शा के अनुसार कृषि प्रयोजन से असम्बद्ध अकृषिक प्रयोजन हेतु जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के लिए प्रख्यापित किये जाते हैं। तदानुसार सम्बन्धित खाते के समक्ष इसके अमलदरामद किये जाने हेतु परवाना अमलदरामद निर्गत हो, और वर्तमान खतौनी के पश्चात निर्मित होने वाली खतौनी में भी संबंधित खाते के समक्ष इसका अमलदरामद होता रहे। नियमावली के नियम-137 के अन्तर्गत आदेश की एक प्रति उपनिबंधक,बबेरू को भेजी जाये,जिसे वह यथानियम निबंधित करके एक प्रति वापस करें। लेखपाल आख्या व नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। पत्रावली बाद अग्रेत्तर कार्यवाही संचित अभिलेखागार की जाये।

(एस० एन० पाण्डेय)
असि0कले0 प्र0 श्रेणी/ उपजिलाधिकारी,बबेरू।
28/7/2011

ATTESTED
दिनांक 28-7-2011

प्रबन्धक
स्व० गयाप्रसाद महाविद्यालय
बबेरू (बांदा)

न्यायालय असि० कले० प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, बबेरू । (10)

वाद संख्या- 16 /2011

धारा-143 जमी०विनाश एवं भूमि व्य०अधि०
मौजा-पिण्डारन परगना/तहसील बबेरू ।

लेखपाल रिपोर्ट बनाम स्व०गया प्रसाद महाविद्यालय भभुवा,प्रबंधक रामकिशोर सिंह

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारित प्रारूप पर अन्तर्गत धारा-143 उ० प्र० भूमि व्यवस्था एवं जमीदारी विनाश अधिनियम (नियम-135) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि खतौनी खाता 1418 लगायत 1423 फ० के खाता संख्या-1079 के गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हे०मा० गु० 3-60 रू० पर स्व० गया प्रसाद महाविद्यालय,भभुवा का भवन बाउड्री व खेलकूद के मैदान के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार स्तम्भ 6 व 7 में अंकित भूमि संख्या व क्षेत्रफल कृषि,बागवानी,पशुपालन,मत्स्य सवर्धन, तथा कुक्कुट पालन से असबद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने उ० प्र० जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 135 पर इसकी आख्या दिनांक 16-7-2011 को प्रस्तुत की है । नियमानुसार वाद पंजीकृत करके मूल काश्तकार को सम्मन निर्गत कर तलब किया गया । रामकिशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासीग्राम-भभुवा ने अपनी भूमि गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हे० में स्व० गया प्रसाद महाविद्यालय,भभुवा की विल्डिंग बनी होने के कारण आबादी घोषित करने विषयक अनापत्ति प्रार्थना-पत्र देकर लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आबादी घोषित किये जाने की याचना की है ।

पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की आख्या में कहा गया है कि गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हे० में स्व० गया प्रसाद महाविद्यालय,भभुवा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जिस पर विद्यालय बाउड्री, भवन व खेलकूद का मैदान बना है,जिस पर विद्यालय काबिज है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि बागवानी अथवा पशुपालन,मत्स्य संवर्धन एवं कुक्कुट पालन में नहीं आ रहे है। अपितु महाविद्यालय का आवासीय भवन निर्मित हो चुका है,जिसमें शिक्षण कार्य हो रहा है, और कृषि प्रयोजन में नहीं है। प्रश्नगत भूमि संक्रमणीय भूमि की श्रेणी की है । इस कारण इसके संबंध में उपर्युक्त दर्शाये गये क्षेत्रफल के विषय उ० प्र० जमी० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में ग्राम-पिण्डारन की भूमि गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हे० मा० गु० 3-60 रू० पर स्व० गयाप्रसाद महाविद्यालय भभुवा, प्रबन्धक राम किशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह नि० भभुवा का विद्यालय भवन आदि निर्मित होने के कारण संलग्न लेखपाल/ प्र० राज० निरीक्षक की आख्या व नजरी नक्शा के अनुसार कृषि प्रयोजन से असबबद्ध अकृषिक प्रयोजन हेतु जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के लिए प्रख्यापित किये जाते है । तद्नुसार संबंधित खाते के समक्ष इसके अमलदरामद किये जाने हेतु परवाना अमलदरामद निर्गत हो,और वर्तमान खतौनी के पश्चात निर्मित होने वाली खतौनी में भी संबंधित खाते के समक्ष इसका अमलदरामद होता रहे । नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत आदेश की एक प्रति उपनिबंधक बबेरू को भेजी जाये, जिसे वह ~~प्रथमतः~~ विधिवत निबंधित करके एक प्रति वापस करें । लेखपाल व आख्या व नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। पत्रावली बाद अग्रेत्तर कार्यवाही संचित अभिलेखागार की जाये ।

28/7/2011
एस० एन० पाण्डेय
असि० कले० प्र० श्रेणी

दिनांक 28-7-2011

प्रबन्धक
स्व० गयाप्रसाद महाविद्यालय
बबेरू (बांदा)